खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफ.डी.ए.) द्वारा लाइसेंस प्रदान करने हेतु रक्तकोषों की श्रेणियाँ–

1. राजकीय रक्तकोष (Government Blood Bank): वे सभी रक्तकोष जो किसी चिकित्सालय/चिकित्सा शिक्षण संस्थान में स्थापित हो जिसको केन्द्र या राज्य सरकार से अनुदान मिल रहा हो।
2. चैरिटेबिल रक्तकोष (Charitable Blood Bank): वे सभी रक्तकोष जो मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक/चैरिटेबिल संस्थाओं द्वारा जनहित में स्थानीय आवश्यकता के अन्तर्गत बिना किसी व्यावसायिक लाभ के चलाए जा रहे हो।
3. चिकित्सालय आधारित रक्तकोष (Hospital Based Blood Bank): वे सभी रक्तकोष जो किसी चिकित्सालय/चिकित्सा शिक्षण संस्थान में स्थापित/सम्बन्धित हो, जिसमें विभिन्न विशिष्टताएं जैसे– सर्जरी, गायनी एवं आब्स, ट्रामा, एक्सीडेन्ट आदि के रोगी भर्ती होते हों जिनमें 2000 यूनिट से अधिक वार्षिक रक्त की खपत सम्भव हो।
4. प्राइवेट रक्तकोष (Stand Alone Blood Bank): जिनका संचालन व्यक्तिगत रूप से/व्यक्तिगत संस्था द्वारा किया जा रहा हो तथा किसी चिकित्सालय में स्थापित/सम्बन्धित न हो। राष्ट्रीय रक्त नीति के अन्तर्गत लाइसेन्स के पात्र नहीं हैं।

<u>चैरिटेबिल रक्तकोष की स्थापना/नवीनीकरण हेतु राज्य रक्त संचरण परिषद्, उ0प्र0 द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया/सिद्धान्त</u>

1. नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल/औषधि महानियंत्रक, भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य रक्त संचरण परिषद, उ0प्र0 द्वारा केवल स्वैच्छिक/चैरिटेबिल संस्थाओं द्वारा संचालित रक्तकोषों को राज्य रक्त संचरण परिषद, उ0प्र0 द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने की आवश्यकता होती है। अतः राज्य रक्त संचरण परिषद, उ0प्र0 द्वारा केवल चैरिटेबिल रक्तकोषों को ही अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता है।
2. रक्तकोष की स्थापना हेतु मानक एवं अर्हताः–
   - क. भौगोलिक क्षेत्र में रक्तकोष की आवश्यकता हो जो 2 से 5 लाख की आबादी को सेवाएं प्रदान करे। यदि क्षेत्र में पहले से अन्य रक्तकोष स्थापित हो तो सामान्यतः 02 रक्तकोषों के मध्य 02 कि0मी0 की दूरी हो।
   - ख. रक्तकोष के सेवा क्षेत्र (2 किमी परिधि) में कई नर्सिंग होम/अस्पताल आदि स्थापित हों जहां ट्रामा, कार्डियक सर्जरी, मेडिकल, सर्जिकल, आई.सी.यू., इमरजेन्सी, गायनी एवं बर्न यूनिट आदि के रोगियों में लगभग 3000 रक्त यूनिट/प्रतिवर्ष की खपत सम्भव हो।
   - ग. यदि रक्तकोष अस्पताल आधारित हो तो सम्बन्धित चिकित्सालय में विभिन्न विधाओं (मेडिकल, सर्जिकल, आब्स एवं गाइनी, इमरजेंसी, आई.सी.यू., ट्रामा, कार्डियक, बर्न एवं अन्य विधाओं) के सामान्यतः 200 से ऊपर इनडोर बेड मौजूद हो जिनका विस्तार 400 बेड से अधिक किए जाने की योजना हो तथा बिना किसी आर्थिक लाभ के रक्तकोष संचालित किया जाना प्रस्तावित हो।

घ. यदि रक्तकोष स्वैच्छिक/चैरिटेबिल संस्था द्वारा संचालित हो तो निम्न अर्हता पूरी करनी होगी। रक्तकोष को संचालित करने वाली स्वैच्छिक/चेरिटेबिल संस्था मान्यता प्राप्त एवं 3 वर्ष पूर्व से पंजीकृत हो।

- संस्था स्वास्थ्य सम्बन्धी जनसेवा/स्वैच्छिक रक्तदान के क्षेत्र से जुड़ी हो जिसका प्रमाण संस्था प्रस्तुत कर सके।
- संस्था जनसेवा के उद्देश्य से स्थानीय आवश्यकतानुसार रक्तकोष की स्थापना करना चाहती हो।
- संस्था की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। संस्था के पास रक्तकोष स्थापना हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो एवं रक्तकोष की स्थापना हेतु व्यय की जाने वाली धनराशि का स्रोत स्पष्ट कर सके। संस्था को विगत तीन वर्षो के आय व्यय का विवरण देना होगा।
- रक्तकोषों के संचालन में किसी प्रकार का व्यवसायिक लाभ ना ले। संस्था रक्तकोष का संचालन बिना लाभ के आधार पर करने हेतु सहमति दे।
- संस्था की पूर्व में अथवा वर्तमान में किसी भी गैर कानूनी कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्तता न पाई गई हो।

च. दूरस्थ क्षेत्र जहाँ 10 किमी की परिधि में चारो तरफ किसी भी प्रकार का रक्तकोष स्थापित न हो को क्षेत्रीय आवश्यकता के दृष्टिगत रक्तकोष स्थापित करने हेतु वरीयता दी जाएगी।

3. रक्तकोष के नवीनीकरण हेतु मानक एवं अर्हता–

क. पूर्व में प्राप्त लाइसेन्स अवधि में रक्तकोष/संस्था द्वारा कोई अनाचार न किया गया हो एवं रक्तकोष द्वारा किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ न प्राप्त किया गया हो।

ख. चिकित्सालय आधारित रक्तकोषों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में रक्तकोष से सम्बन्धित चिकित्सालय में लगभग 400 बेड स्थापित हो जिसमें 2000 यूनिट रक्त की प्रति वर्ष खपत हो।

ग. स्वैच्छिक रक्तदान 10 प्रतिशत से ऊपर हो।

घ. नाको, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त रक्तकोष हेतु सर्विस चार्ज की निर्धारित दरों एवं अन्य निर्देशों का पालन किया गया हो। मासिक रिपोर्ट का प्रेषण उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी, लखनऊ को ससमय किया गया हो।

ड़. लाइसेन्स अवधि का नोटिस अनिस्तारित न हो तथा किसी गैर कानूनी कार्य में संलिप्तता न पाई गई हो एवं रक्तकोष द्वारा क्वालिटी एश्योरेन्स का पालन किया गया हो।

4. रक्तकोष स्थापना/नवीनीकरण हेतु आवेदन राज्य रक्त संचरण परिषद के कार्यालय से प्राप्त या वेब साइट (upsacs.in) से डाउनलोड कर हार्ड कापी में समस्त वांछित अभिलेखों/सूचना/शपथ पत्र के साथ कार्यालय राज्य रक्त संचरण परिषद, चतुर्थ तल, ए–ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को प्रेषित किए जायेंगे। लाइसेंस नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु रक्तकोषों को आवेदन लाइसेंस अवधि समाप्ति के 06 माह पूर्व करना होगा।

5. अर्ह आवेदनों के सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से आख्या उपरांत परिषद से प्रतिनिधि नामित कर स्थापित होने वाले रक्तकोष/संस्था का स्थलीय निरीक्षण कराया जाएगा। परिषद द्वारा गठित स्टेट कोर कमेटी द्वारा निर्धारित मानकों/गुण दोषों के आधार पर मूल्यांकन उपरांत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लिया जाता है।